BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 22 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त त्रिलोकी पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम चौडेरा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा द्वारा वर्ष-2019 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर हत्या करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 11.04.2019 को थाना छतारी पर मुअसं – 106/2019 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.06.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 22.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी–03 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त त्रिलोकी को को 08 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपुत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर